



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 188 राँची, बुधवार, 4 चैत्र, 1948 (श०)
25 मार्च, 2026 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

1 मार्च, 2024

संचिका सं0-04/म01-01/2009-25--श्री करमा मिंज, तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक-2022 दिनांक-13.07.2002 के द्वारा असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-49 (ए) तथा 55 एवे बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली-1958 के नियम-167 के तहत श्री मिंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

2. उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के संचालनों परांत विभागीय जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षांपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-369 दिनांक-18.11.2008 के द्वारा श्री मिंज कातीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया। जिसे माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद WP(S) No.-370/2009 करमा मिंज बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-11.04.2019 को पारित न्यायादेश के द्वारा निरस्त किया गया।

3. तदोपरांत विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में श्री मिंज के विरुद्ध पूर्व में गठित आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेख के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या-2475 दिनांक-01.08.2019 के द्वारा झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. विभागीय जांच पदाधिकारी के पत्रांक-234 दिनांक-08.08.2019 पत्रांक-243 दिनांक-21.08.2019 एवं पत्रांक-250 दिनांक-30.08.2019 के आलोक में श्री मिंज सुनवाई में अनुपस्थित रहे। विभागीय जांच पदाधिकारी के पत्रांक-249 दिनांक-30.08.2019 के प्रसंग में विभागीय पत्रांक-2806 दिनांक-06.09.2019 के द्वारा श्री मिंज को विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण प्रे सविज्ञप्ति के माध्यम से भी श्री मिंज को सूचित किया गया। उक्त के बावजूद श्री मिंज विभागीय कार्यवाही की सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

5. उपर्युक्त के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के आदेश-सह-जापांक-10412 दिनांक- 27.12.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु पुनः जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-34 दिनांक- 07.01.2020 के द्वारा श्री मिंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-03 दिनांक-09.01.2020 एवं पत्रांक-19 दिनांक-24.01.2020 तथा विभागीय पत्रांक-209 दिनांक- 03.01.2020 के प्रसंग में पुनः श्री मिंज के विभागीय जाँच में अनुपस्थित रहने के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा एक पक्षीय सुनवाई करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित की गई।

7. संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक-57 दिनांक-20.05.2020 के द्वारा प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष में श्री मिंज के विरुद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।

8. उपर्युक्त प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष के सम्यक समिक्षोपरांत नैसर्गिक न्याय के तहत अवसर प्रदान करते हुए विभागीय पत्रांक-24 दिनांक-05.01.2021 एवं पत्रांक-300 दिनांक-28.01.2021 के द्वारा श्री मिंज से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री मिंज द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने के उपरांत प्रे सविज्ञप्ति के माध्यम से भी श्री मिंज को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। कई अवसर के पश्चात भी श्री मिंज से द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए “झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत श्री करमा मिंज के पेंशन से 05 (पाँच) वर्षों तक 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

9. उक्त प्रस्ताव पर तदेन विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

10. उक्त प्रस्ताव पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की सहमति प्राप्त है।

11. उपर्युक्त लिए गए निर्णय के साथ ही संचालित विभागीय कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(कुमुद सहाय),
सरकार के अपर सचिव।
